न्यायालय सहायककलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर 169/2012 **अनवान** नर्बदा............ **बनाम** ...किशनलाल...

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण एवं उनके अधिवक्ता को रूक–रूक कर कई बार आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी गण न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नही है। अतः वादी/प्रार्थी गण की और से प्रकरण मे पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नही होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **(बृजेश गुप्ता R.A.S.)** **सहायक कलक्टर एवं** **उपखण्ड अधिकारी,** **राजसमंद**	